जिला पदाधिकारी, पटना
–सह–अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, पाटलीपुत्र बस टर्मिनल, पटना।

समाहरणालय पटना।

email – secpbtpatna@gmail.com

नीलामी नोटिस संख्या–PBT/EC/Project/21/22– 02 पटना, दिनांक–01/01/25

पुनर्नीलामी सूचना
(Re-Auction Notice)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल सोसाइटी, पटना के अधिन निम्नाकिंत सैरातों की बंदोवस्ती एक वर्ष हेतु प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर https://eproc2.bihar.gov.in/ वेबसाईट से ई–ऑक्शन निम्नलिखित तिथियों के अनुसार की जायेगी :–

S.N.	Information	Details
1	Name of Assignment	एक वर्ष के लिए पाटलिपुत्र बस टर्मिनल सोसाइटी, पटना अंतर्गत विभिन्न सैरातों की बंदोवस्ती।
2	E-auction Processing Fee/Cost (Non-Refundable)	INR (As per Eproc 2.0) (Inclusive of GST) Payable online through e-payment mode i.e. NEFT/RTGS/Credit Card on following website: https://eproc2.bihar.gov.in/
3	E-auction Fee/Cost (Non-Refundable)	As per NIT
4	Date of Issue of Notice Inviting E-auction	02.01.2025
5	Period of submission of necessary documents	15.01.2025 to 31.01.2025 at 3.00 PM
6	Date of scrutiny of documents submitted by registered applications.	31.01.2025 at 4.00 PM
7	Contact person of queries	Sri Pramod Kumar Rajak, Mob. No.-7462090395

क्र0	स्टैण्ड का नाम	सुरक्षित जमा (न्यूनतम डाक) राशि (प्रति वर्ष)	जमानत की राशि	तिथि	समय
1	2	3	4	5	6
1	पाटलिपुत्र बस स्टैण्ड	3,24,00,000.00	32,40,000.00	31.01.2025	04:30 PM अपराह्न

1. Details description of the item and instruction for submitting offer can be downloaded from e-tender website (https://eproc2.bihar.gov.in/), https://www.patna.nic.in & https://state.bihar.gov.in /urban/CitizenHome.
2. For support related to e-tendering process, bidders may contact at "eproc 2.0 Help Desk Address: Mjunction services limited, R.J. Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiyana Road, P.S.-Shastrinagar, Patna- 800014, Bihar. Toll Free Number- 1800 572 6571 or https:/www.eproc2.bihar.gov.in
3. Bidder should be registered on e-Procurement Portal (https://eproc2.bihar.gov.in/) and have the Class III Digital Signature Certificate (DSC) with signing + Encryption and User ID of the e-Procurement website (https://eproc2.bihar.gov.in/) before participating in the e-Tendring process.
4. The Executive Committee, Patliputra Bus Terminal Society, Patna reserve the right to reject or cancel the auction or any part at any stage thereof without assigning any reasons.
5. Corrigendum/Addendum, if any will be published on the website of the e-Procurement, Bihar (https://eproc2.bihar.gov.in/)

01/01/24

जिला पदाधिकारी, पटना।
–सह–अध्यक्ष, पाटलीपुत्र बस टर्मिनल कार्यकारिणी समिति, पटना।

01-01-2025 1/1/25

जिला पदाधिकारी, पटना
–सह–अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, पाटलीपुत्र बस टर्मिनल, पटना।

समाहरणालय पटना।

email – secpbtpatna@gmail.com

नीलामी नोटिस संख्या–PBT/EC/Project/21/22– 02 पटना, दिनांक– 01/01/25

Important Notice for Bidder regarding Re-eAuction

(Through e-Procurement mode over http:/https:/www.eproc2.bihar.gov.in.)

पुनर्नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल सोसाइटी, पटना के अधिन निम्नाकिंत सैरातों की बंदोवस्ती एक वर्ष हेतु प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर https://eproc2.bihar.gov.in/ वेबसाईट से ई–ऑक्शन निम्नलिखित तिथियों के अनुसार की जायेगी :–

S.N.	Information	Details
1	Name of Assignment	एक वर्ष के लिए पाटलिपुत्र बस टर्मिनल सोसाइटी, पटना अंतर्गत विभिन्न सैरातों की बंदोवस्ती।
2	E-auction Processing Fee/Cost (Non-Refundable)	INR (As per Eproc 2.0) (Inclusive of GST) Payable online through e-payment mode i.e. NEFT/RTGS/Credit Card on following website: https://eproc2.bihar.gov.in/
3	E-auction Fee/Cost (Non-Refundable)	As per NIT
4	Date of Issue of Notice Inviting E-auction	02.01.2025
5	Period of submission of necessary documents	15.01.2025 to 31.01.2025 at 3.00 PM
6	Date of scrutiny of documents submitted by registered applications/Hard Copy.	31.01.2025 at 04.00 PM
7	Contact person of queries	Sri Pramod Kumar Rajak, Mob. No.-7462090395

क्र0	स्टैण्ड का नाम	सुरक्षित जमा (न्यूनतम डाक) राशि (प्रति वर्ष)	जमानत की राशि	तिथि	समय
1	2	3	4	5	6
1	पाटलिपुत्र बस स्टैण्ड	3,24,00,000.00	32,40,000.00	31.01.2025	04:30 PM अपराह्न

1. Details description of the item and instruction for submitting offer can be downloaded from e-tender website (https://eproc2.bihar.gov.in/), https://www.patna.nic.in & https://state.bihar.gov.in /urban/CitizenHome.
2. For support related to e-tendering process, bidders may contact at "eproc 2.0 Help Desk Address: Mjunction services limited, R.J. Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiyana Road, P.S.- Shastrinagar, Patna- 800014, Bihar. Toll Free Number- 1800 572 6571 or https:/www.eproc2.bihar.gov.in
3. Bidder should be registered on e-Procurement Portal (https://eproc2.bihar.gov.in/) and have the Class III Digital Signature Certificate (DSC) with signing + Encryption and User ID of the e-Procurement website (https://eproc2.bihar.gov.in/) before participating in the e-Tendring process.
4. The Executive Committee, Patliputra Bus Terminal Society, Patna reserve the right to reject or cancel the auction or any part at any stage thereof without assigning any reasons.
5. Corrigendum/Addendum, if any will be published on the website of the e-Procurement, Bihar (https://eproc2.bihar.gov.in/).

01-01-25 1/1/25

(234)

पंजीयन की प्रक्रिया

1. ई–ऑक्शन के प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को ई–प्रोक्योरमेंट (https://eproc2.bihar.gov.in/) में सर्वप्रथम पंजीयन करना अनिवार्य होगा। यदि बोलीदार द्वार पूर्व में ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन कराया जा चुका हो तो पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। संभावित बोलीदाताओं को निलामी में भाग लेने हेतु एक वैध श्रेणी–03 डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (DSC) में यूजर आई0डी0 प्राप्त करना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संबंधित बोलीदाता के पास एक वैध ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल संख्या होना अनिवार्य है।
2. ई–प्रोक्योरमेंट (https://eproc2.bihar.gov.in/) पर पंजीयन लिंक के द्वारा पंजीयन की प्रक्रिया सर्वप्रथम पूरी करनी होगी। पंजीयन पर क्लिक करने पर एक नई ऑनलाईन प्रपत्र में दर्शाये गये विवरण को दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने पश्चात आपको नियम एवं शर्तों को स्वीकार करना होगा तथा विंडो में दर्शित Captch को दर्ज कर अपना पंजीयन करना होगा। सारे विवरण दर्ज करने के बाद संबंधित दस्तावेज के साथ पंजीयन शुल्क के साथ भुगतान इसी प्रक्रिया में किया जाना होगा। पंजीयन शुल्क केवल ऑनलाईन माध्यम से स्वीकार किया जायेगा जो ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल (https://eproc2.bihar.gov.in/) के माध्यम से भुगतान करना होगा।
3. इस प्रक्रिया को पूर्ण करने पर पोर्टल के विंडो पर आपके द्वारा किया गया पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया है, इसका संदेश प्राप्त होगा। यदि आवश्यकता हो तो संबंधित प्रपत्र का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं तथा इसकी वैधता एक वर्ष के लिए होगा।
4. उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इस यूजर आई0डी0, पासवर्ड एवं स्वंय का डिजीटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुये निलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगें।

01-01-2025

ई–ऑक्शन की प्रक्रिया

1. नीलामी की सूचना में दर्शित समय के पूर्व इच्छुक व्यक्ति को https://eproc2.bihar.gov.in/ पोर्टल में पंजीयन के समय प्राप्त यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड दर्ज करके प्रविष्टि करना होगा।
2. पोर्टल में प्रविष्टि के उपरांत एक्टिविटी विंडों में क्लिक करना होगा। इस विंडों में क्लिक के उपरांत ऑक्शन का चयन करना होगा।
3. अग्रधन एवं आवेदन शुल्क सफलतापूर्वक जमा करने के पश्चात् बोलीदाता बेल्ट्रॉन द्वारा प्रदान किये गये यूजर आई0डी0 का उपयोग करते हुये लॉगिन करेंगें एवं भुगतान रसीद के साथ सभी वांछित कागजात अपलोड करेंगें, जो निम्नवत हैं :–

(क) पैन कार्ड की प्रति।

(ख) पिछले तीन साल का इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति।

(ग) आधार कार्ड की प्रति। जिन बोलीदाताओं द्वारा आधार कार्ड हेतु आवेदन दिया गया हो, वैसे बोलीदाता यू.आई.डी.ए.आई. भारत सरकार द्वारा निर्गत पावती रसीद की प्रति भी संलग्न कर सकते है।

(घ) निर्वाचन प्रमाण पत्र/विद्युत विपत्र/लैण्ड लाईन विपत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/बैंक पासबुक/घरेलु गैस विपत्र/आवासीय प्रमाण पत्र के रूप में संलग्न कर सकते है।

(ड़) पासपोर्ट की प्रति (केवल एन0आर0आई0 बोलीदाताओं के लिए)

(च) स्व–हस्ताक्षरित घोषणा प्रपत्र (अनुलग्नक–2)

(छः) दो रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो।

4. सभी वांछित कागजातों को अपलोड करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा प्राधिकृत बोली आमंत्रण प्राधिकार द्वारा दस्तावेजों की जांच की जायेगी। केवल वैध दस्तावेज समर्पित करने वाले बोलीदाताओं को ही ई–नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्वीकृति दी जायेगी।
5. आक्शन मोड के चयन के उपरांत आपको संबंधित सम्पदा का चयन करना होगा, जिसके उपरांत नीलामी प्रदर्शित सम्पदाओं की सूची विंडों में दशित होगी।
6. प्रत्येक बोलीदाता के कम्पयूटर के विंडों पर अन्य बोलीदाताओं की सर्वोच्च बोली ही प्रदर्शित होगी। बोलीदाता के नाम तथा पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी।
7. किसी विशिष्ट सम्पदा को ई–नीलामी की प्रक्रिया समाप्ति समय से 03 मिनट पहले यदि किसी बोलीदाता द्वारा बोली समर्पित की जाती है तो सिस्टम द्वारा स्वतः बोली समाप्ति की अवधि को अगले 10 मिनट तक के लिए विस्तारित कर दिया जायेगा। विस्तारित अवधि में उच्चतम बोली से अधिक बोली प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विस्तारित अवधि के समाप्ति के पश्चात् बोली की प्रक्रिया बंद कर दी जायेगी।
8. प्रत्येक बोली में वृद्धि मूल, बेस प्राईस का 2 प्रतिशत होगा। इस प्रकार एक बोलीदाता द्वारा एक बार में अधिक से अधिक पांच बार ई–नीलामी की बोली लगाई जा सकेगी।

9. सफलतम बोलीकर्ता को स्वचलित सिस्टम द्वारा ई–मेल के माध्यम से उच्चतम बोलीकर्ता होने की सूचना दी जायेगी।

10. बोली लगाते समय सभी आई0टी0 संसाधनों एवं उपकरणों के सुचारू रूप से कार्य करने संबंधी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बोलीदाता की होगी। किसी भी प्रकार की तकनिकी समस्या एवं इंटरनेट विच्छेद संबंधी मामलों में गया नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस कारण से हुई क्षति के लिए बोलीदाता स्वंय जिम्मेदार होंगें।

11. सभी संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई–नीलामी से संबंधित सभी निर्देशों, नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें।

12. ई–नीलामी संबंधित विवरणी एवं नियम–शर्तों की जानकारी ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल (https://eproc2.bihar.gov.in/) पर जाकर डाउनलोड की जा सकती है।

13. Auction processing fees संबंधित बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा जो केवल Internet Banking/ Debit Card/Credit Card/Payment Gateway, https://eproc2.bihar.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से प्राप्त एवं स्वीकार किया जायेगा।

14. Auction processing fees and Auction form fee non-refundable होगा। अतः इस संबंध में राशि वापसी से संबंधित किसी भी प्रकार के अनुरोध अथवा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

15. सभी इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई–नीलामी हेतु पंजीकरण कराने एवं ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ ले। आवेदन करने के बाद यह माना जायेगा कि बोलीदाताओं द्वारा नियम एवं शर्तों को ध्यान में पढ़ लिया गया है तथा सभी नियम शर्ते उनको मान्य है। बाद में इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति अस्वीकारात्मक होगी।

16. ई–नीलामी से संबंधित बोर्ड द्वार पूर्व में लिये गये निर्णय को बदलने अथवा भविष्य में लिये जाने वाले निर्णय का अधिकार नगर निगम, गया के पास सुरक्षित होगा, जिस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति पूर्णतः अस्वीकारात्क होगी।

17. ई–नीलामी की प्रक्रिया के तहत बोलीदाताओं द्वारा यदि किसी प्रकार की अनयिमितता अथवा भ्रष्ट आचरण का प्रमाण पाया जाता है तो उन्हें उच्चतक डाकवक्ता घोषित होने के बावजुद भी उनके डाक को रदद् कर जमा राशि जब्त कर लिया जायेगा।

18. इस संबंध में अन्य जानकारियों प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें :–

क्र0	विषय	सम्पर्क स्थान एवं दूरभाष संख्या
1	ई–नीलामी कार्यक्रम	जिला पदाधिकारी, पटना का कार्यालय, हिन्दी साहित्य भवन, पटना, पिन– 800001 Sri Sidharth Harshvadhan, Mob. No.-9473308453
2	पंजीयन की प्रक्रिया / तकनिकी सहायता	Toll Free Number- 1800 572 6571, email ID- eproc2support@bihar.gov.in , Mjunction services limited, R.J. Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiyana Road, P.S.- Shastrinagar, Patna- 800014, Bihar.

अन्य शर्त्त एवं नियमावली

1. सुरक्षित जमा (न्यूनतम डाक) राशि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर में बस स्टैण्ड हेतु मो0 3,24,00,000.00 रूपये होगी।
2. सोसाइटी द्वारा नीलामी हेतु न्यूनतम सुरक्षा राशि का निर्धारण वर्त्तमान में विभागीय स्तर से चुंगी वसूली से अर्जित राशि के आधार पर किया गया है।
3. सुरक्षित जमा राशि को न्यूनतम डाक राशि के रूप में होगी।
4. बस पड़ाव स्टैण्ड हेतु आवंटी के द्वारा वाहनों से चुंगी की वसूली निम्नांकित दर से किया जायेगा :–

क्रमांक	वाहनों के प्रकार	दर
1	2	3
1	प्राईवेट बस (बड़ी गाड़ी)	100.00 (सौ रूपये) प्रति खेप
2	मैक्सी टैक्सी	35.00 (पैंतीस रूपये) प्रति खेप
3	अन्य छोटी गाड़ी	10.00 (दस रूपये) प्रति खेप

5. सैरातों से कार्यकारिणी समिति, पाटलीपुत्र बस टर्मिनल सोसाईटी, पटना द्वारा उक्त निर्धारित दर से ही शुल्क वसूली करने का अधिकार सफलतम डाक वक्ता/बन्दोवस्तकार को होगा।
6. डाक में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था को निम्नलिखित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगाः–
   (a) आवासीय प्रमाण–पत्र।
   (b) वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र जो सूचना प्रकाशन के तिथि से 3 तीन माह अन्दर का निर्गत ही मान्य होगा।
   (c) पैन कार्ड।
   (d) सुरक्षित जमानत की राशि पाटलिपुत्र बस स्टैण्ड हेतु मो0 32,40,000.00 रूपये का बैंक ड्रॉफ्ट जो Executive Committee, ISBT, Patna के नाम से देय एवं बैंक ऑफ इंडिया, पश्चिमी बोरिंग रोड, पटना शाखा में भुगतेय हो, डाक तिथि के निर्धारित समय से कम–से–कम 02 घण्टे पूर्व तक कार्यालय अवधि में जमा कर रसीद प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।
   (e) कोई व्यक्ति/संस्था यदि पूर्व से डिबार/कालीसूची में दर्ज है, तो वे डाक में भाग लेने के पात्र नहीं होगें। इस आश्य का शपथ पत्र देना होगा।
7. इच्छुक व्यक्ति/संस्था स्थल निरीक्षण के उपरान्त निर्धारित तिथि को डाक में भाग लेगें।
8. सफल डाक वक्ता के साथ एक वर्ष के लिए एकरारनामा किया जाएगा। कार्य संतोषप्रद होने पर बन्दोबस्ती अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जायेगा। परन्तु इस प्रकार से विस्तारित अवधि अधिकतम तीन वर्षों के लिए अनुमान्य होगी, जो प्रथम दो वर्ष के अवधि पर 10% वृद्धि के शर्त्त के साथ अगले अगले एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जायेगा।
9. बंदोवस्ती लेने से पूर्व इच्छुक व्यक्ति/संस्थान बोली संबंधित सैराते की समीक्षा कर लेंगें।
10. जो सैरात जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में बंदोवस्ती की जायेगी।
11. बंदोवस्ती लेने के पश्चात किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
12. सैरात बंदोबस्ती के निर्धारित चौहदी के अंदर निर्धारित वसूली राशि पर वसूली एवं सैरात की साफ–सफाई की जिम्मेवारी बंदोबस्तीधारी को होगी। एक बार अनिमितता करने पर 5000.00 (पांच हजार) दण्ड शुल्क, दूसरी बार अनिमितता करने पर 10000.00 (दस हजार) दण्ड शुल्क एवं तीसरी बार अनियमितता करने पर चेतावनी देते हुए जमा की गई बंदोबस्ती की राशि जब्त करते हुये सैरात की बंदोबस्ती रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

01-01-2025

230

10CJAP

13. बंदोबस्ती लेने वाले व्यक्ति/संस्था बस पड़ाव, टेम्पु स्टैण्ड के सीमा अन्तर्गत हीं पंक्तिबद्ध तरीके से वाहनों का ठहराव करायेगें अन्यथा उनके विरूद्ध कानुनी कार्रवाई की जायेगी।
14. हाल के पासपोर्ट साईज के दो फोटो एवं अपने व्यय से 1000–1000 रूपये का दो अदद् स्टाम्प पेपर उपलब्ध कराने पर निगम शर्तो के अनुसार कराये गये एकरारनामा प्रस्तुत करने पर ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
15. सफलतम डाक वक्ता को डाक की पूरी राशि डाक होने के पश्चात् (7) सात दिनों के अन्दर जमा करना होगा। तत्पश्चात् ही बन्दोबस्ती का एकरारनामा कर आदेश निर्गत किया जायेगा। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में डाकवक्ता द्वारा जमा की गई जमानत की राशि को जप्त करते हुए द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
16. डाक प्राप्तकर्त्ता को निबंधित एकरारनामा करने हेतु डाक की पूरी राशि के अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रांक शुल्क, आयकर एवं अन्य कर का भुगतान करना होगा।
17. उक्त सैरात को किसी के साथ सबलेट नहीं करना होगा।
18. सभी बन्दोबस्ती यथास्थिति अवस्था में ही मान्य होगी।
19. सैरात से संबंधित आवश्यक अत्याधुनिक व्यवस्था सफलतम डाक प्राप्तकर्त्ता द्वारा किया जायेगा, जिसकी जानकारी समिति के सचिव एवं नोडल पदाधिकारी को देते हुए उनकी देख–रेख/मार्ग–दर्शन में अधिष्ठापन कराया जायेगा।
20. पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर में बस पड़ाव स्टैण्ड पर दुकान अथवा गुमटी लगवाने का अधिकार सफल डाकवक्ता/संवेदक की नहीं होगा।
21. बन्दोबस्तदार द्वारा सैरात कार्य अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु व्यवस्था/कनेक्शन की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
22. डाकवक्ता/संवेदक तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा बस पड़ाव पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
23. पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर के सुव्यवस्थित रूप से बसों (बड़े वाहन) का पड़ाव एवं परिचालन की सम्पूर्ण जिम्मेवारी डाकवक्ता/संवेदक की होगी।
24. पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर के अन्दर आवंटित बस स्टैण्ड में किसी प्रकार की गैर–कानूनी गतिविधियाँ संचालन होने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी डाकवक्ता/संवेदक की होगी। साथ ही इस संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने और जांच में सही पाये जाने पर डाकवक्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षित जमा एवं जमानत की राशि को जप्त करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
25. पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर में डाकवक्ता/संवेदक को आवंटित बस स्टैण्ड में चुंगी वसूली एवं सुरक्षा, साफ–सफाई हेतु उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों को वर्दी/यूनीफॉर्म एवं आई0कार्ड पहना होगा। उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों एवं अन्य की सूची समिति को उपलब्ध कराते हुए आई0कार्ड सम्पुष्ट कराना होगा।
26. पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर के अन्दर सफाई इत्यादि का सम्पूर्ण जिम्मेवारी डाकवक्ता/संवेदक की होगी।
27. पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर में आवंटित स्थल पर स्थित सोसाईटी की परिसम्पत्ति को क्षति की जिम्मेवारी बन्दोबस्तदार की होगी एवं इसकी प्रतिपूर्ति उनसे की जायेगी।
28. किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर उसके निपटारे के लिए कार्यकारिणी समिति, पाटलिपुत्र बस टर्मिनल सोसाईटी, पटना ही सक्षम होंगे तथा उसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
29. प्राकृतिक आपदा की परिस्थिति में डाकवक्ता/संवेदक को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाटलिपुत्र बस टर्मिनल सोसाईटी, पटना स्तर से अनुमान्य नहीं होगा।
30. डाक को रद्द या स्वीकृत (औपबंधिक) करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

01/01/25

जिला पदाधिकारी, पटना।
–सह–अध्यक्ष, पाटलीपुत्रा बस टर्मिनल कार्यकारिणी
समिति, पटना।

1/1/25 01-01-2025